

स्थल संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र
(वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन)

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. लखनऊ के द्वारा 0.06048 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग 132 के.वी. एकल परिपथ राम सनेही घाट - बुढ़वल (20) विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण किया जाना है। प्रस्ताव में प्रयुक्त भूमि के स्थल निरीक्षण दिनांक - 29-08-2017 को क्षेत्रीय वनाधिकारी श्री र.स.नेही एवं यू.पी.टी.सी.एल. के उपखण्ड अधिकारी श्री अमर सिंह द्वारा किया गया एवं पाया गया कि उक्त वन भूमि पर कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होंगे।

याचक विभाग द्वारा आवेदित भूमि जो 0.06048 हेक्टेयर है, रोड, के किनारे पर स्थित सेक्शन 29 वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत घोषित संरक्षित वन भूमि है याचक विभाग द्वारा भाग-1(2) के अन्तर्गत प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।

क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ/रकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हां/ तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें? नहीं

क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें? नहीं

याचक विभाग द्वारा वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कोई उल्लंघन नहीं किया गया है एवं न ही बगैर संस्तुति के कार्य प्रारम्भ किया गया है।

(अमर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत पारेषण विभाग
Electricity Sub Division- IInd
बाराबंकी C.L.
Ramsanehi Ghat, Barabanki

(संजीव कुमार भास्कर)
अधिसारी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड-तृतीय,
लखनऊ
EXECUTIVE ENGINEER
ETD-III, UPPTCL
Lucknow

(संजीव कुमार भास्कर)
अधिसारी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड-तृतीय,
लखनऊ

दिनांक : 5-09-2017

स्थान : बाराबंकी